तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/8328/2006/जयपुर सरकार बनाम शंकरलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

<u>एकल पीठ</u>
<u>श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य</u>

<u>उपस्थित–</u>

श्री ओ0पी0भट्ट, उपराजकीय अधिवक्ता सरकार
अप्रार्थी अनुपस्थित, अतः एकतरफा कार्यवाही

<u>निर्णय</u>

<u>दिनांकः– 02–04–2019</u>

यह रेफरेन्स धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जयपुर के निर्णय दिनांक 30–06–2006 द्वारा राजस्व मण्डल को प्रेषित किया गया है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार जमवारामगढ ने एक रेफरेंस प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया, जिसमें अंकित किया गया कि खतौनी बंदोबस्त भू प्रबन्ध विभाग सम्वत 2018 से 2027 ग्राम जयचन्दपुरा तहसील जमवारामगढ के मुताबिक आराजी खसरा संख्या 934 रकबा 7 बिस्वा भूमि माफी दरगाह पीरजी वाके ग्राम ताला की खातेदारी में दर्ज थी तथा कृषक के कॉलम में जमाल जरादी पुत्र पीरखां कौम मुसलमान साकिन बाडीकावास का नाम दर्ज था। भूमि एकीकरण के दौरान उक्त खसरा संख्या 934 रकबा 7 बिस्वा के नये नम्बर 294 बने और भूमि एकीकरण के दौरान माफी दरगाह पीरजी वाके ग्राम ताला का नाम बिना किसी आज्ञा/आदेश के विलोपित करते हुए जमाल जागरी पुत्र पीरखां मुसलमान के नाम दर्ज कर दी गई। कृषक जमाल जागरी के फौत होने पर विरासत के नामान्तरकरण संख्या 185 अहमदखां एवं अहमदखां के फौत होने पर विरासत के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/8328/2006/जयपुर सरकार बनाम शंकरलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नामान्तरकरण संख्या 365 से बसीमखां, नदीमखां पिसरान अहमदखां नाबालिग संरक्षिका माता संजीदा बेगम व सजीदा बेगम पत्नि अहमदखां के हक में तथा इनके द्वारा आराजी का बेचान जरिये नामान्तरकरण संख्या 376 से उक्त आराजी शंकरलाल पुत्र सुगलाराम जाति कुम्हार की खातेदारी में हस्तान्तरित होकर दर्ज हुई है। वर्तमान में भूमि अप्रार्थी शंकरलाल की खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार उक्त माफी दरगाह पीरजी वाके ताला की भूमि का नियम विपरीत हस्तान्तरण हुआ है, जिसे हटाकर पुनः खातेदारी माफी दरगाह पीरजी वाके ग्राम ताला के नाम दर्ज किए जाने की अनुशंषा की। अतः विवादित आराजी बाबत अप्रार्थी के पक्ष में किए गए अंकन तथा नामान्तरकरण विधि के विपरीत होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेफरेंस स्वीकार कर विवादित आराजी को राजस्व रेकार्ड में पुनः माफी पीरजी के नाम दर्ज करने हेतु यह रेफरेंस प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की रेफरेंस के सम्बन्ध में बहस सुनी। विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि पूववर्ती राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजी माफी पीरजी के नाम दर्ज थी। उक्त भूमि को बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश/स्वीकृति के अप्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया गया। उन्होंने आगे बताया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 या 19 के तहत किसी भी व्यक्ति को पीरजी की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते है। विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि पीरजी की भूमि पर अगर कोई व्यक्ति काश्त करता है तो वह पीरजी के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/8328/2006/जयपुर सरकार बनाम शंकरलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	द्वारा ही काश्त किया जाना माना जाएगा। अन्त में उन्होंने तथ्यात्मक स्थिति के मद्देनजर प्रस्तुत रेफरेंस स्वीकार कर विवादित आराजियात बाबत अप्रार्थी के पक्ष में प्रदान की गयी अवैधानिक खातेदारी को निरस्त कर पुनः पीरजी के नाम अंकित करने की प्रार्थना की गई। हमनें प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित रेफरेन्स पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रस्तुत रेफरेंस प्रकरण में उपलब्ध रेकार्ड से यह स्पष्ट होता है कि खतौनी बंदोबस्त भू प्रबन्ध विभाग सम्वत 2018 से 2027 ग्राम जयचन्दपुरा तहसील जमवारामगढ के मुताबिक आराजी खसरा संख्या 934 रकबा 7 बिस्वा भूमि माफी दरगाह पीरजी वाके ग्राम ताला की खातेदारी में दर्ज थी तथा कृषक के कॉलम में जमाल जरादी पुत्र पीरखां कौम मुसलमान साकिन बाडीकावास का नाम दर्ज था। भूमि एकीकरण के दौरान उक्त खसरा संख्या 934 रकबा 7 बिस्वा के नये नम्बर 294 बने और भूमि एकीकरण के दौरान माफी दरगाह पीरजी वाके ग्राम ताला का नाम बिना किसी आज्ञा/आदेश के विलोपित करते हुए जमाल जागरी पुत्र पीरखां मुसलमान के नाम दर्ज कर दी गई। कृषक जमाल जागरी के फौत होने पर विरासत के नामान्तरकरण संख्या 185 अहमदखां एवं अहमदखां के फौत होने पर विरासत के नामान्तरकरण संख्या 365 से बसीमखां, नदीमखां पिसरान अहमदखां नाबालिग संरक्षिका माता संजीदा बेगम व सजीदा बेगम पत्नि अहमदखां के हक में तथा इनके द्वारा आराजी का बेचान जरिये नामान्तरकरण संख्या 376 से उक्त आराजी शंकरलाल पुत्र सुगलाराम जाति कुम्हार की खातेदारी में हस्तान्तरित होकर दर्ज हुई है। वर्तमान में भूमि अप्रार्थी शंकरलाल की खातेदारी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/8328/2006/जयपुर सरकार बनाम शंकरलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

में दर्ज है। विवादित आराजी का बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश/स्वीकृति के माफी पीरजी का नाम विलोपित कर अप्रार्थी के नाम जो हस्तांतरण हुआ है वह प्रारंभ से शून्य और अवैध है और ऐसे शून्य अवैध हस्तांरण निरस्तनीय है ।

1984 आरआरडी पेज 01 में निम्न तीन बिन्दुओं पर अपना विनिश्चय दिया हैः–

> (a) Idol- Minor- R.T.Act, Secs. 5 (25) Proviso & 46 (1)(e)- Whether a deity is a minor for purpose of Sec. 46 and Proviso to Sec. 5 (25) or suffers from any mental or physical disability u/s 5(25) or incapable of cultivating land u/s 46 (1)(e)- Held deity is a minor for purpose of Sec 46(1)(a) and proviso to Sec. 5 (25)- Question of infirmity and disabilities, not considered necessary to be examined since all minor enjoy protection u/s 46(1) (a).
> (b) Raj. Tenancy Act. Ss. 46(1) & 16 (vi) - Whether khatedari rights can at all accrue in lands held for public purpose and lands of deities can be considered to be held for public purpose- Held, properties endowed for an idol, essentially for public purpose and/ or public utility unless temple, essentially private- AIR 1957 SC 133, followed- Hence khatedari rights cannot accrue in such lands.
> (c) Raj. Tenancy Act, Sec. 5 (25) Land cultivated personally- Lands in muafi of deity, cultivated by a person, not being a pujari or manager, not a member of their family, nor a hired labour or servant- Held such land, included in definition of 'land cultivated personally' in sec 5 (25).

इसके अतिरिक्त 1994 आरआरडी पेज 01 रामप्रताप व अन्य बनाम राजस्व मण्डल में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने प्रतिपादित किया है किः–

> "(B) **Rajsthan Land Reforms & Resumption of Jagirs Act-** (a) Section 2(i) and sub-section (23) of Section 5 of the Rajasthan Tenancy Act- When there was no provision in the law or in the proforma for preparation of the land records for the entry of the word 'khudkasht', the entry of merely the name of the khatedar in the column provided therefor (without the word 'khuddasht') did not detract from the 'khudkasht' naure of the tenure.
> (b) Section 2(k) - Land cultivated personally - It is settled law that an idol is a perpetual minor and, therefore, it is not expected to cultivate the land

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/8328/2006/जयपुर सरकार बनाम शंकरलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	personally and in such a case, the land shall be deemed to be cultivated personally even in the absence of such personal supervision." प्रस्तुत मामले में न्यायिक दृष्टान्त 1984 आरआरडी पेज 01 एवं 1994 आरआरडी पेज 01 अवलोकनीय है, जिसमें प्रतिपादित किया गया है कि देव मूर्ति नाबालिग है तथा नाबालिग की भूमि पर जिसके द्वारा भी काश्त की जाती है, वह मूर्ति द्वारा ही "Land cultivated personally" ही मानी जाएगी। राजस्व मण्डल की वृहद पीठ एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय में यह प्रतिपादित किया गया है कि देव मूर्ति की भूमि पर अगर कोई अन्य व्यक्ति काश्त करता है तो वह पीरजी के द्वारा ही काश्त किया जाना माना जाएगा। फलतः पीरजी उन अपवादित श्रेणियों में शामिल है जिन पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1) (म) के अन्तर्गत परिणित होने के कारण भूमिधारक या कृषक के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से बतौर उपकृषक राहिन के रूप में कृषि कराने के लिए लगाये गये प्रतिबंध लागू नहीं होते है। वैसे भी नाबालिग के व्यापक हितों की सुरक्षा का दायित्व न्यायालय का होता है। यहीं नहीं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत किसी भी व्यक्ति को पीरजी की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते है। हस्तगत प्रकरण में माफी पीरजी की विवादित आराजी पर अप्रार्थी को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अवैध रूप से खातेदार दर्ज कर दिया गया है, जिसे उपरोक्त वर्णित विभिन्न विधिक विनिश्चयों में प्रतिपादित सिद्धान्त के मद्देनजर निरस्त किया जाना न्यायोचित है। परिणामतः प्रस्तुत रेफरेंस स्वीकार किया जाकर ग्राम ग्राम जयचन्दपुरा तहसील जमवारामगढ स्थित विवादित आराजी खसरा संख्या 294 रकबा 7 बिस्वा भूमि के संबंध में अप्रार्थी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/8328/2006/जयपुर सरकार बनाम शंकरलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के पक्ष में दर्ज खातेदारी एवं स्वीकृत किए गए समस्त नामान्तरकरणों को निरस्त किया जाता है। इसके साथ विवादित आराजी को पुनः राजस्व रेकार्ड में माफी दरगाह पीरजी वाके ग्राम ताला के नाम खातेदारी में प्रदान किए जाने की आज्ञा पारित की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मनोज कुमार नाग)** **सदस्य**	